न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

रेफरेन्स संख्या : 103/2011

सरकार जरिये तहसीलदार–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. मोहन पुत्र काना, जाति–जाट, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा, तह0–फागी, जयपुर।
2. हनुमान पुत्र काना, जाति–जाट, नि0–ग्राम प्रतापपुरा, तह0–फागी, जयपुर।
3. कालूराम पुत्र रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर। (मृतक)
    - 3/1 बजरंगलाल पुत्र स्व0 श्री कालूराम, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
    - 3/2 बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री कालूराम, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
    - 3/3 बनवारी पुत्र स्व0 श्री कालूराम, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
    - 3/4 रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री कालूराम, निवासी–ग्राम प्रतापपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
    - 3/5 तीजा देवी पत्नी परसराम पुत्री स्व0 श्री कालूराम, निवासी–ग्राम किशनपुरा, तहसील–मौजमाबाद, जिला–जयपुर।
    - 3/6 नरमा देवी पत्नी गोपाललाल पुत्री स्व0 श्री कालूराम, निवासी–ग्राम हरसूलिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री हिमांशु श्रीमाल, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/4 व 3/6 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 29.11.2018

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम पीपला की आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा

में से 2 बिस्वा मोहन हनुमान पि0 काना 1/2 कालूराम पुत्र रामचन्द्र 1/2, कौम जाट, निवासी–प्रतापपुरा के हक में दिनांक 24.12.2001 को नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1420 मोहन वगैराह के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर अप्रार्थी मोहन वगैराह के गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नला आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम पीपला की आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा में से 2 बिस्वा मोहन वगैराह के हक में नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1420 मोहन वगैराह के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी मोहन वगैराह की गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा में से 2 बिस्वा वाके ग्राम पीपला मोहन हनुमान पि0 काना हि0 1/2 कालूराम पुत्र रामचन्द्र, जाति–जाट को सहायक कलक्टर, फागी के आदेश दिनांक 24.12.2001 को नियमन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0–1420 के कॉलम सं0–14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन/आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख

खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 24.12.2001 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इसी प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुँए खोदने एवं पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 4 में वर्णित भूमि आवंटन/नियमन हेतु अनुपलब्ध होने के बावजूद आवंटन किया गया है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नला की आराजी को दि0 24.12.2001 को मोहन वगैराह को आवंटन/नियमन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री हिमांशु श्रीमाल का कथन है कि रेफरेन्स अधीन आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा को गलत रूप से पुराने रिकार्ड में गैर–मुमकिन नला अंकित होना दर्शाया गया हैं जबकि वास्तव में वादग्रस्त आराजी किसी भी प्रकार से नला की श्रेणी में नहीं हैं तथा मौके पर आस–पास कोई पानी का बहाव व भराव क्षेत्र नहीं हैं। उक्त खसरा किसी भी रूप से नला की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थी के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। वादग्रस्त आराजी को खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011–2030 में गलत रूप से गैर–मुमकिन नला राजकीय भूमि दर्शाई गई है जबकि वास्तविकता यह हैं कि बजमाना पूर्वजान इस आराजी में कुआ बना

रखा है और अप्रार्थीगण अपने परिवार व अपने जानवरों को पीने का पानी उपयोग में इस कुऐ से लेते है। प्राधिकृत अधिकारी, सहायक कलक्टर, फागी द्वारा मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई है मौके पर कुआ होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने जानवरों को एवं अपने परिवार को पीने का पानी उपयोग में लिऐ जाने की रिपोर्ट किये जाने के उपरान्त ही नियमों की परिधि में आंवटन किया गया है। रंजिसवश रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है। सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2011--2030 में वादग्रस्त खसरा नम्बर की आराजी को गलती से व भूल से गैर–मुमकिन नला अंकित की गई हैं जबकि मौके पर किसी भी प्रकार का कोई नला कभी भी नहीं रहा हैं ना ही कभी जलभराव क्षेत्र रहा हैं। वादग्रस्त आराजी जो दिनांक 24.12.2001 को भूमि की मौके की स्थिति को मध्यनजर तथा कभी भी नला क्षेत्र नहीं होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए सहायक कलक्टर, फागी द्वारा आवंटन की गई हैं जिसका नामान्तरकरण संख्या 1420 आंवटी मोहन हनुमान पि0 काना 1/2 कालूराम पुत्र रामचन्द्र 1/2, कौम जाट, निवासी–प्रतापपुरा के हक में दिनांक 04.07.2012 को स्वीकार किया गया हैं। अप्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। अप्रार्थीगण काश्तकार हैं तथा पशुओं के एवं परिवार के पीने का एकमात्र साधन हैं। लंबे अन्तराल के बाद में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमनें विद्वान उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 ग्राम पीपला की आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा में से 2 बिस्वा मोहन हनुमान पि0 काना हि0 1/2 कालूराम पुत्र रामचन्द्र, जाति–जाट के हक में नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–1420 मोहन वगैराह के नाम दर्ज होकर गैर–खातेदारी का स्वीकार होने के फलस्वरूप अप्रार्थी मोहन वगैराह की गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नला आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या

बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 24.12.2001 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का नियमन मोहन वगैराह को दिनांक 24.12.2001 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–1420 ग्राम–पीपला से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 में निजी गैर–खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नला की भूमि की निजी गैर–खातेदारी/खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नला भूमि का नियमन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत गैर–खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1124 रकबा 24 बीधा 07 बिस्वा में से 02 बिस्वा वाके ग्राम–पीपला नियमन

दिनांक 24.12.2001 बहक मोहन हनुमान पि0 काना हि0 1/2 कालूराम पुत्र रामचन्द्र, जाति–जाट को निरस्त करने एवं इस आवंटन/नियमन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान् को दिनांक 28.01.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.11.2018 को सुनाया गया।

29/11/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
[illegible]